

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2013—आश्विन 3, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013

शुद्धि-पत्र

क्र.-21-अ(प्रा.).—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 12 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन अंकों एवं शब्द के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गए अंक और शब्द पढ़े जाए:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ अंक और शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह अंक और शब्द आए हैं (2)		शुद्ध अंक और शब्द जो पढ़े जाए (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
15 सितम्बर, 2013	836(1)	32	12 सितम्बर, 2013

राजेश यादव, उपसचिव.